



CITY UNION BANK

सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

क्रेडिट कार्ड के लिए

(MITC_V6 दिनांक 03.10.2026 को अद्यतन के अनुसार)

CUB
CUB
CUB

अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें और इसमें दी गई सभी जानकारी सभी क्रेडिट कार्ड धारकों / क्रेडिट कार्ड के आवेदकों / बैंक के ग्राहकों / बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में दिलचस्पी दिखाने वाले आम लोगों पर लागू होगी। एमआईटीसी बदली जा सकती है। यह एमआईटीसी बैंक के कार्डधारक अनुबंध में दिए गए नियम व शर्तों के अलावा हैं और इन्हें उन्हीं के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

A. शुल्क और प्रभार

1. शामिल होते समय, वार्षिक तथा बाद में अतिरिक्त कार्ड शुल्क

क्रेडिट कार्ड के प्रकार	जॉइनिंग शुल्क (₹) (कार्ड सक्रिय होने के बाद लागू)*	अगले वर्ष से वार्षिक शुल्क (₹)*	अतिरिक्त कार्ड शुल्क (एक बार का शुल्क)
CUB CSK/SRH रुपये प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	निःशुल्क	निःशुल्क	₹ 500 + जीएसटी
CUB CSK/SRH मास्टर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	निःशुल्क	₹ 1000 + जीएसटी (₹3 लाख खर्च करने पर छूट)	₹ 500 + जीएसटी
CUB CSK/SRH मास्टर वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	निःशुल्क	₹ 4000 + जीएसटी (₹5 लाख खर्च करने पर छूट)	₹ 500 + जीएसटी
CUB सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	निःशुल्क	निःशुल्क	₹ 500 + जीएसटी
CUB सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (भुगतान किया गया संस्करण)	₹ 500 + जीएसटी	₹500 + जीएसटी (₹2 लाख खर्च करने पर छूट)	₹ 500 + जीएसटी
CUB कवाच रुपये / मास्टर क्रेडिट कार्ड	निःशुल्क	निःशुल्क	लागू नहीं
CUB शास्त्रा अलुमनाई रुपये / मास्टर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड	निःशुल्क	निःशुल्क	लागू नहीं
CUB शास्त्रा अलुमनाई रुपये सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड	₹999 + जीएसटी	₹999 + जीएसटी (₹2 लाख खर्च करने पर छूट)	लागू नहीं

2. वित्त/ब्याज शुल्क

क्रेडिट कार्ड के प्रकार	क्रेडिट अवधि बढ़ाने पर ब्याज		नकद अग्रिम पर ब्याज	
	मासिक दर	वार्षिक दर	मासिक दर	वार्षिक दर
CUB CSK/SRH रुपये प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB CSK/SRH मास्टर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB CSK/SRH मास्टर वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (पेड वेरिएंट)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB कवाच रुपये / मास्टर क्रेडिट कार्ड	2% मासिक	24% वार्षिक	2% मासिक	24% वार्षिक
CUB शास्त्रा अलुम्राई रुपये / मास्टर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB शास्त्रा अलुम्राई रुपये सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक

3. वित्त / ब्याज शुल्क विवरण

यदि कार्ड मेंबर भुगतान की नियत तिथि (कार्ड स्टेटमेंट के अनुसार) तक पिछला बिल पूरा नहीं चुकाता है, तो उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज की गणना ट्रांज़ैक्शन की तारीख से लेकर बकाया राशि के पूर्ण भुगतान (सेटलमेंट) की तारीख तक की जाती है। यदि कार्ड मेंबर रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का उपयोग कर रहा है, तो पिछले स्टेटमेंट का अनपेड बैलेंस (अदत्त शेष) और कोई भी नया ट्रांज़ैक्शन (क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए बिल की गई ईएमआई सहित) पर, कुल बकाया राशि के पूर्ण भुगतान की तारीख तक ब्याज लगेगा। सभी कैश एडवांस पर निकासी की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक ब्याज लिया जाएगा। फीस, शुल्क और जीएसटी पर ब्याज नहीं लगेगा। ग्राहक द्वारा किए गए खर्चों, पहले से लगे हुए ब्याज और ईएमआई पर ब्याज लगना जारी रहेगा।

4. अन्य शुल्क तथा प्रभार

विलंब भुगतान शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	₹ 25,000 तक का बकाया: ₹ 350/- ₹ 25,000 से ज़्यादा का बकाया: ₹ 450/-
--------------------	--------------------------	--

ओवरलिमिट शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	ओवर लिमिट अमाउंट का 3.5% या ₹250 जो भी ज़्यादा हो
सीमा वृद्धि शुल्क	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	₹ 200 प्रति अवसर
	सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (पेड वेरिएंट)	पहली बार निःशुल्क; इसके बाद प्रत्येक अवसर पर ₹ 200 शुल्क लागू होगा।
चेक वापसी प्रभार /अमान्य चेक शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	₹ 300 प्रति चेक वापसी
कार्ड पुनः जारी करने/प्रतिस्थापन शुल्क	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	₹ 300
	सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	निःशुल्क
	कवाच क्रेडिट कार्ड	लागू नहीं
पिन मेलर दोबारा जारी करने का शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	लागू नहीं
विदेशी मुद्रा लेनदेन शुल्क (मार्क अप शुल्क)/डीसीसी शुल्क	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 3.5%
	सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क) / कवाच क्रेडिट कार्ड	ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 2%
	सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (पेड वेरिएंट) / CUB शास्ता अलुमिनाई रुपये सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड	ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 1%
	CSK/SRH मास्टर वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड	ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 0%
किराये का अधिभार शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 1%
वॉलेट लोड ट्रांज़ैक्शन शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 1%
फ्यूल ट्रांज़ैक्शन फीस	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	हर स्टेटमेंट साइकिल में फ्यूल ट्रांज़ैक्शन पर कुल ₹50,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करने पर 1% शुल्क लगेगा
यूटिलिटी ट्रांज़ैक्शन शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	हर स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी ट्रांज़ैक्शन पर कुल ₹25,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च पर 1% फ़ीस लगेगी
ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग ट्रांज़ैक्शन शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	हर स्टेटमेंट साइकिल में ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग ट्रांज़ैक्शन पर INR 10,000 या उससे ज़्यादा के कुल खर्च पर 1% शुल्क लगेगा

स्टेटमेंट प्राप्ति शुल्क	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	फिजिकल विवरण अनुरोध > 3 महीने - प्रत्येक विवरण के लिए ₹50 ऑनलाइन विवरण - पिछले 12 महीनों के लिए निःशुल्क
	सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क / पेड वेरिफाई) / कवाच क्रेडिट कार्ड	फिजिकल विवरण अनुरोध > 3 महीने - प्रत्येक विवरण के लिए ₹100 ऑनलाइन विवरण - पिछले 12 महीनों के लिए निःशुल्क
चार्ज स्लिप रिट्रीवल शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	₹ 250
एटीएम से बैलेंस पता करना	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	शहर के बैंक ATM - निःशुल्क दूसरे बैंक ATM पर- ₹50/-
भारत में किसी भी एटीएम से कैश निकालना	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	कैश निकालने की रकम का 3% या ₹250 जो भी ज़्यादा हो
	For कवाच क्रेडिट कार्ड	कैश निकालने की रकम का 2% या ₹250 जो भी ज़्यादा हो
विदेश में किसी भी एटीएम से कैश निकालना	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	कैश निकालने की रकम का 3.5% या ₹1000 जो भी ज़्यादा हो
	कवाच क्रेडिट कार्ड	कैश निकालने की रकम का 2% या ₹1000 जो भी ज़्यादा हो
ईंधन अधिभार माफी	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	पूरे भारत में सभी ईंधन स्टेशनों पर ईंधन खरीद पर 1% ईंधन अधिभार माफी
		सिर्फ ₹400 से ₹3,000 के बीच के ट्रांज़ैक्शन पर मान्य
		हर स्टेटमेंट साइकिल पर ₹300 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा
	CSK/SRH मास्टर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड / CSK/SRH मास्टर वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड	पूरे भारत में सभी ईंधन स्टेशनों पर ईंधन खरीद पर 1% ईंधन अधिभार माफी
		सिर्फ ₹400 से ₹5,000 के बीच के ट्रांज़ैक्शन पर मान्य
		हर स्टेटमेंट साइकिल पर ₹500 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा
	CUB शास्त्रा अलुमनाई रुपये सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड	पूरे भारत में सभी ईंधन स्टेशनों पर ईंधन खरीद पर 1% ईंधन अधिभार माफी
		सिर्फ ₹400 से ₹3,000 के बीच के ट्रांज़ैक्शन पर मान्य
		हर स्टेटमेंट साइकिल पर ₹700 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा

कार्ड ब्लॉक करने का शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	लागू नहीं
एडऑन कार्ड जारी करने का शुल्क	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	₹500
	कवाच क्रेडिट कार्ड / CUB शास्त्रा अलुम्राई रुपये सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड	लागू नहीं
की-चेन एफओबी जारी करने का शुल्क	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	₹400
	सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क / पेड वेरिएंट) / कवाच क्रेडिट कार्ड/ CUB शास्त्रा अलुम्राई रुपये सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड	NA
मास्टर प्लैटिनम और मास्टर वर्ल्ड कार्ड होल्डर्स के लिए फिजिकल रुपये कार्ड जारी करने का शुल्क	नीचे उल्लिखित सभी क्रेडिट कार्डों को छोड़कर	₹250
	सैलरी से लेवल अप क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क / पेड वेरिएंट) / कवाच क्रेडिट कार्ड	लागू नहीं
	CUB शास्त्रा अलुम्राई मास्टर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड	निःशुल्क
ईएम आई कन्वर्जन का शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	2%, न्यूनतम ₹ 200/- और अधिकतम ₹1,000/-
ईएमआई के फोरक्लोज़र का शुल्क	सभी क्रेडिट कार्ड के लिए	बकाया राशि का 5%

Note:

- I. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी शुल्क, ब्याज़ और दूसरे प्रभारों पर लागू होता है और भारत सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुसार बदल सकता है।
- II. सिटी यूनियन बैंक के पास जब भी उचित लगे, समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क में बदलाव करने या कोई नया प्रभार या शुल्क लगाने का अधिकार है, और इसकी जानकारी कार्ड धारक को कम से कम एक महीने पहले दे दी जाएगी।

5. विलंब भुगतान शुल्क:

अगर भुगतान देय तिथि तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है या न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान प्राप्त होता है, तो

कार्ड धारक से विलंब भुगतान शुल्क लिया जाएगा। विलंब भुगतान शुल्क से बचने के लिए, भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड खाते में स्पष्ट राशि जमा होनी चाहिए। विलंब भुगतान शुल्क सिर्फ बकाया राशि (देय तिथि से पहले प्राप्त किसी भी भुगतान को घटाकर) लगेगा पर, संपूर्ण राशि पर नहीं।

6. नकदी आहरण शुल्क:

कार्ड धारक सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भारत या विदेश में एटीएम से कैश निकालने के लिए कर सकता है, यह क्रेडिट कार्ड आवेदन के समय चुनी गई उसकी पसंद पर निर्भर करता है, बशर्ते कि वह एटीएम सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड के अनुकूल हो। ऊपर बताए गए प्रभार के हिसाब से ऐसे आहरण पर लेन-देन शुल्क लगेगा और अगले स्टेटमेंट में कार्ड धारक को बिल किया जाएगा। यह सिटी यूनिन बैंक का प्रभार है। कुछ एटीएम आहरण प्रभार लगा सकते हैं, जो सिटी यूनिन बैंक से नहीं जुड़े हैं।

7. क्रेडिट सीमा से अधिक शुल्क:

सिटी यूनिन बैंक कार्ड धारक होल्डर के कुछ ऐसे ट्रांज़ैक्शन को मंजूरी दे सकता है जो क्रेडिट सीमा से ज्यादा हों, यह आंतरिक नीति, लेन-देन पात्रता, ग्राहक कस्टमर प्रोफाइल और ग्राहक की सहमति पर निर्भर करता है। अगर बकाया राशि जमा राशि से अधिक है, तो जमा राशि की सीमा से अधिक राशि पर 3% (कम से कम ₹ 250) क्रेडिट सीमा से अधिक शुल्क लगेगा। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज, कोई भी प्रभार/शुल्क और टैक्स क्रेडिट सीमा से अधिक शुल्क की गणना करने में शामिल नहीं किए जाएंगे। सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट सीमा से अधिक की सुविधा लेने वाले कार्ड धारक से स्पष्ट मंजूरी लेगा।

8. रेंटल सरचार्ज:

एमसीसी 6513 द्वारा चिह्नित प्रत्येक किराया भुगतान के लिए, प्रत्येक लेन-देन पर 1% रेंट सरचार्ज शुल्क लगेगा। कर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से लगेगा। उदाहरण के लिए- अगर आप अपने सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए किसी थर्ड-पार्टी किराया भुगतान प्लेटफॉर्म से ₹ 20,000 का भुगतान करते हैं, तो लेन-देन राशि का 1% अर्थात् ₹ 200 और कर सरचार्ज शुल्क लगेगा। यह हर ट्रांज़ैक्शन लगेगा पर।

9. वॉलेट लोड लेन-देन शुल्क:

एमसीसी कोड 6538, 6539, 6540, 6541, और 6542 द्वारा चिह्नित हर वॉलेट लोड लेन-देन पर, लेन-देन राशि का 1% वॉलेट लोड लेन-देन शुल्क लगेगा। इस शुल्क के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर भी लगेगा। उदाहरण के लिए- अगर आप अपने सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर किसी थर्ड-पार्टी वॉलेट में ₹ 10,000 डालते हैं, तो ₹ 10,000 का 1% = ₹ 100, तथा लागू कर, वॉलेट लोड लेन-देन शुल्क के रूप में लगेगा। यह हर लेन-देन लगेगा पर।

10. ईंधन लेन-देन शुल्क:

हर स्टेटमेंट साइकिल में ₹ 50,000 या उससे ज्यादा के ईंधन लेन-देन पर किए गए कुल खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। ईंधन लेन-देन की पहचान एमसीसी 5983, 5541, 5542 और 5172 द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कर लगेगा। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, अगर आपके सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड से ईंधन लेन-देन पर आपका कुल खर्च (सभी लेन-देन मिलाकर) ₹ 50,000 है, तो लेन-देन राशि का 1% यानी ₹ 500 तथा कर सरचार्ज शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इसी तरह, मान लें कि किसी खास स्टेटमेंट साइकिल में ईंधन लेन-

देन पर आपका कुल खर्च ₹ 30,000 है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

11. यूटिलिटी लेन-देन शुल्क:

हर स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी भुगतान पर ₹ 25,000 या उससे अधिक के कुल खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। यूटिलिटी पर किया गया लेन-देन 4814, 4899, 4900 द्वारा चिह्नित होता है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कर लगेगा। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, अगर आपके सिटी यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान पर आपका कुल खर्च (सभी सभी लेन-देन सहित) ₹ 25,000 है, तो लेन-देन राशि का 1% यानी ₹ 250 तथा टैक्स सरचार्ज शुल्क के रूप में लगेगा। इसी तरह, मान लें कि किसी खास स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी लेन-देन पर आपका कुल खर्च ₹ 20,000 है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

12. ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग लेन-देन शुल्क:

एमसीसी 5816 द्वारा चिह्नित ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग लेन-देन पर, अगर किसी स्टेटमेंट साइकिल में कुल खर्च ₹ 10,000 या उससे अधिक है, तो 1% का सरचार्ज शुल्क लगेगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कर लगेगा। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, अगर सिटी यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड का उपजोग कर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आपका कुल खर्च (सभी लेन-देन सहित) ₹ 13,000 है, तो लेन-देन राशि का 1% यानी ₹ 130 तथा कर सरचार्ज शुल्क के लिए जाएगा। इसी तरह, मान लें कि किसी खास स्टेटमेंट साइकिल में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आपका कुल खर्च ₹ 6000 है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

13. EMI रूपांतरण

पात्र लेन-देन को बैंक के पात्रता मानदंडों के अधीन ईएमआई में परिवर्तित किया जा सकता है। ₹10,000 या उससे अधिक राशि के लेन-देन ईएमआई रूपांतरण के लिए पात्र होंगे। हालांकि, **सैलरी से** क्रेडिट कार्ड के लिए ₹2,500 या उससे अधिक राशि के लेन-देन ईएमआई रूपांतरण के लिए पात्र होंगे।

EMI रूपांतरण की सुविधा 3, 6, 9, 12, 18 और 24 माह की अवधि के लिए उपलब्ध है, जिस पर घटती शेष राशि (Reducing Balance) के आधार पर 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू होगी। कार्डधारक के लिए उपलब्ध अवधि के विकल्प EMI रूपांतरण के समय प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्रसंस्करण शुल्क (Processing Fee): लेन-देन राशि का 2%, जो न्यूनतम ₹200 और अधिकतम ₹1,000 होगा, तथा इस पर लागू जीएसटी अतिरिक्त होगा।

समयपूर्व भुगतान/EMI बंद करने का शुल्क (Foreclosure Fee): बकाया मूलधन राशि का 5%, तथा इस पर लागू जीएसटी अतिरिक्त होगा।

EMI पुनर्भुगतान का उदाहरण

निम्नलिखित उदाहरण ₹50,000 की लेन-देन राशि को घटती शेष राशि (Reducing Balance) के आधार पर 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर EMI में परिवर्तित करने पर आधारित है। वास्तविक EMI, ब्याज तथा कुल पुनर्भुगतान राशि कार्डधारक द्वारा चुनी गई लेन-देन राशि और अवधि के आधार पर अलग-अलग होगी तथा EMI रूपांतरण के समय प्रदर्शित की जाएगी।

EMI योजना	मूलधन (₹)	ब्याज (₹)	कुल भुगतान (₹)
₹17,113.07 × 3 महीने	50,000.00	1,339.22	51,339.22
₹8,726.51 × 6 महीने	50,000.00	2,359.09	52,359.09
₹5,932.47 × 9 महीने	50,000.00	3,392.19	53,392.19
₹4,536.54 × 12 महीने	50,000.00	4,438.51	54,438.51

₹3,142.82 × 18 महीने	50,000.00	6,570.79	56,570.79
₹2,448.16 × 24 महीने	50,000.00	8,755.73	58,755.73

नोट: उपर्युक्त EMI उदाहरण में केवल मूलधन और ब्याज के घटक शामिल हैं तथा इसमें प्रसंस्करण शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क एवं ब्याज पर लागू जीएसटी शामिल नहीं है। ये शुल्क, जहां लागू हों, अलग से बिल किए जाएंगे।

EMI की विस्तृत नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और वे सभी EMI रूपांतरणों पर लागू होंगी।

B. क्रेडिट और नकदी आहरण / अग्रिम पर शुल्क:

- **क्रेडिट लिमिट:** यह सिटी यूनियन बैंक द्वारा आंकलन के पश्चात् कार्ड धारक को दी गई अधिकतम जमा राशि सीमा है। क्रेडिट लिमिट कार्ड खाते से जुड़ी होती है और इसमें सभी लेन-देन, शुल्क और प्रभार शामिल होते हैं। कुल बकाया देय राशि इस सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- **नकदी सीमा:** यह कार्ड धारक को दी गई नकदी निकालने की अधिकतम सीमा है। यह क्रेडिट लिमिट से कम होती है और ओवरऑल क्रेडिट लिमिट का एक भाग है।
- **कैश निकालने पर लेन-देन शुल्क:** एटीएम से पैसे निकालने पर लेन-देन शुल्क लगेगा, और लेन-देनक्शन की तारीख से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। वर्तमान शुल्क दर के लिए कृपया एमआईटीसी देखें।
- **उपलब्ध क्रेडिट सीमा:** इसका तात्पर्य है कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए कार्ड धारक के लिए उपलब्ध बची हुई राशि। बाद में जोड़े गए कार्ड धारक मूल कार्ड धारक की क्रेडिट सीमा साझा करते हैं।
- **उपलब्ध नकद सीमा:** इसका मतलब है बची हुई नकद सीमा, जिसे किसी भी बकाया नकदी आहरण को ध्यान में रखकर गणना की जाती है।
- **इंटरनेशनल लिमिट:** यदि समर्थ की गई है, तो यह वेलकम किट में बताई गई इंटरनेशनल लेन-देनक्शन की सीमा है। कार्ड का इस्तेमाल भारत और विदेश में किया जा सकता है, लेकिन नेपाल और / या भूटान में विदेशी करेंसी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह कार्ड भारत, नेपाल और भूटान में पार्टिसिपेटिंग मर्चेन्ट संस्थानों में विदेशी मुद्रा में पेमेंट के लिए मान्य नहीं है, यानी नेपाल या भूटान में कार्ड का इस्तेमाल करते समय लेन-देन की मुद्रा उन देशों की स्थानीय मुद्रा या भारतीय रुपये में होनी चाहिए।
- **एकाधिक कार्ड्स-राशि का बंटवारा:** जिन ग्राहकों के पास कई सिटी यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके लिए जमा और नकदी राशि की सीमा सभी कार्ड्स पर बांटी जाती है। एक कार्ड का उपयोग सभी जुड़े कार्ड्स के लिए उपलब्ध जमा पर असर डालेगा।
- **क्रेडिट लिमिट में बदलाव:** सिटी यूनियन बैंक आंतरिक दिशा निर्देशों के हिसाब से क्रेडिट लिमिट बदलने का अधिकार रखता है। बदलावों के बारे में कार्ड धारकों को कम से कम एक महीने पहले बताया जाएगा।
- **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश:** कार्ड डिफॉल्ट रूप से घरेलू लेन-देन हेतु सक्षम होते हैं, लेकिन कार्ड धारक बैंक चैनल के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन, संपर्क रहित भुगतान, या ऑनलाइन लेन-देन को चालू या बंद कर सकता है। कार्ड जारी करना और उपयोग में लाना भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, आरबीआई के एक्सचेंज कंट्रोल नियमों, विदेशी लेन-देन प्रबंधन एक्ट (फैमा), फैमा के तहत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों, जारी की गई अधिसूचनाओं/सर्कुलर और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य संबंधित कानून के अधीन होगा।

ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि

- **ग्रेस पीरियड:** लेन-देन की तारीख के हिसाब से, ब्याज-मुक्त साख समयावधि 17 से 50 दिनों तक हो सकता है।

अगर पिछले महीने के बिल का कोई भी बकाया का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो मौजूदा स्टेटमेंट के लिए ब्याज –मुक्त साख समयावधि रोक दी जाएगी।

ब्याज-मुक्त समयावधि की गणना का दृष्टांत:

बिलिंग की तारीख: 18th जुलाई | भुगतान देय तारीख: 5th सितम्बर

- 18 जुलाई को की गई खरीदारी के लिए, ब्याज-मुक्त अवधि 18 जुलाई से 5 सितंबर तक, यानी 50 दिन है।

बिलिंग की तारीख: 18th फरवरी | भुगतान देय तारीख: 5th मार्च

- 17 फरवरी को की गई खरीदारी के लिए, ब्याज-मुक्त अवधि 17 फरवरी से 5 मार्च तक है, यानी 17 दिन है।

इस तरह ब्याज-मुक्त समयावधि बिलिंग साइकिल में खरीदारी की तारीख के आधार पर अलग-अलग होगी। हालांकि, यदि पिछले महीने का कुल राशि भुगतान देय तिथि तक पूरी नहीं चुकाई जाती है, तो ब्याज-मुक्त साख समयावधि लागू नहीं होगी, और वित्तीय प्रभार लेन-देन क्लेम की तारीख से लगेंगे।

अग्रिम नकदी के लिए, लेन-देन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लगता है, और कोई बायज –मुक्त समयावधि लागू नहीं होती है।

c. बिलिंग और स्टेटमेंट

- विवरण वितरण - समय और भेजने का तरीका: मासिक खाता विवरण (ई-स्टेटमेंट) बैंक के अभिलेख के अनुसार, कार्ड धारक के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। खाता विवरण में पिछले महीने के सभी कार्ड लेन-देन और पिछले विवरण के बनने और मौजूदा विवरण के बीच के समय में कार्ड खाते में जोड़े गए लेन-देन का ब्योरा होता है।
- न्यूनतम देय राशि (MAD) : कार्ड धारक केवल न्यूनतम देय राशि अमाउंट ड्यू देने का विकल्प चुन सकते हैं। कुल देय राशि या MAD भुगतान देय तिथि से पहले देना होगा।
- बिलिंग विवाद: कार्ड धारकों को खाता विवरण मिलने के 7 दिनों के भीतर किसी भी गड़बड़ी के बारे में सिटी यूनियन बैंक को बताना होगा।
- भुगतान आवंटन: भुगतान निम्न क्रम में आवंटित किया जाएगा
 - वस्तु एवम सेवा कर (जीएसटी)
 - शुल्क एवम प्रभार
 - ब्याज प्रभार
 - ईएमआई (समान मासिक किश्तें)
 - खरीद
 - अग्रिम नकदी
- भुगतान असफल होना: अगर भुगतान असफल होता है, तो सिटी यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड निरस्त या वापस ले सकता है और उचित शुल्क लगा सकता है।
- विवरण की नकल: कार्ड धारक शुल्क अदा कर विवरण की नकल मांग सकते हैं।
- सैलरी से कार्ड को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्डों के लिए भुगतान विधियाँ:
 - सीयूबी की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा या मोबाइल ऐप का उफजोग कर खाता स्थानांतरित करना.
 - क्रेडिट कार्ड पोर्टल द्वारा: : <https://creditcard.cub.bank.in/cubcredportal/cub>
 - सीधे भुगतान पोर्टल द्वारा:
<https://creditcard.cub.bank.in/cubcredportal/tz/payments.jsp?cz=cub>
 - भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के ज़रिए प्राधिकृत बैंकों और भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए
- सैलरी से क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट के तरीके:

- सैलरी से ऐप के ज़रिए
- भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के ज़रिए प्राधिकृत बैंकों और भुगतान प्लेटफॉर्म के ज़रिए

आपको सलाह दी जाती है कि आप पूरी सावधानी बरतें और हमारे बताए गए तरीकों के सिवा किसी और तरीके से भुगतान न करें। अगर ऐसा कोई भुगतान किया जाता है, तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

नोट: लागू ब्याज, शुल्क और अन्य प्रभारों से बचने के लिए कार्डधारकों को भुगतान की नियत तारीख (Payment Due Date) तक डेसिमल वाली राशि सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए।

1. ब्याज कैलकुलेशन का उदाहरण

स्टेटमेंट साइकिल विवरण

- स्टेटमेंट साइकिल: एक महीने की 23 तारीख से अगले महीने की 22 तारीख तक
- स्टेटमेंट बनने की तारीख: हर महीने की 23 तारीख
- उदाहरण के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर :3.5% मासिक

दृष्टांत

प्रकार	लेन-देन की तिथि	राशि
खरीददारी	14 जनवरी 2025	10000
भुगतान प्राप्ति	10 फरवरी 2025	7000

प्रकार	लेन-देन तिथि	बकाया राशि	अद्यतन	दिन	ब्याज दर	ब्याज
खरीददारी	14-जनवरी -25	10000	22-जनवरी-25	9	3.50% मासिक	105
23/जनवरी /2025 को प्रारंभिक जमा		10000	09-फरवरी-25	18	3.50% मासिक	210
10/फरवरी /2025 को ₹ 7000 का भुगतान	10-फरवरी-25	3000	22-फरवरी25	13	3.50% मासिक	45.5
					कुल	360.5

कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिया गया उदाहरण, ब्याज की गणना का तरीका समझाने के लिए एक सैंपल कैलकुलेशन है और यह 3.50% प्रति माह की अनुमानित ब्याज दर पर आधारित है। कार्डहोल्डर के मौजूदा बकाया बैलेंस पर ब्याज की गणना रोज़ाना के आधार पर की जाती है। अगर पेमेंट की तय तारीख तक कुल बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तो ब्याज लगाया जाता है। सभी कैश एडवांस पर भी ट्रांज़ैक्शन की तारीख से लेकर पेमेंट की तारीख तक ब्याज लगाया जाएगा। कार्डहोल्डर पर लागू होने वाली ब्याज दर वही होगी जो संबंधित क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट के लिए तय की गई है। बैंक, लागू नियमों और शर्तों के अनुसार, समय-समय पर ब्याज दर में बदलाव कर सकता है।

2. न्यूनतम देय राशि (MAD) संगणन तर्क

MAD:

- सभी खरीददारी और कैश आहरण के योग का 5%
- सभी ब्याज / वित्तीय प्रभारों, शुल्क और कर का 100%

उदाहरण:

- ₹5,000 की खरीदारी: MAD अभिदान ₹250 (₹5,000 का 5%) है
- संबद्ध होने का शुल्क ₹1000: पूर्णतया MAD में शामिल है
- संबद्ध होने के शुल्क पर जीएसटी (₹180): पूरी तरह से MAD में शामिल है
- ₹ 2,000 का नकदी आहरण: MAD में ₹100 (₹2,000 का 5%) जुड़ता है
- ₹500 की नकदी आहरण शुल्क और ₹90 का जीएसटी: पूरा शामिल है
- नकदी आहरण पर ₹35.99 का ब्याज और जीएसटी ₹6.48: पूरा शामिल है
- कुल बकाया: ₹8,812.47
- MAD: ₹ 2,162.47

नोट: उपरोक्त उदाहरण केवल न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना को समझाने के उद्देश्य से दिया गया है। इसमें शामिल शुल्क, प्रभार, ब्याज और कर केवल सांकेतिक हैं और लागू क्रेडिट कार्ड उत्पाद, लेन-देन के प्रकार तथा उस समय लागू शुल्क अनुसूची के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है। वास्तविक न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना कार्डधारक के स्टेटमेंट में दर्शाई गई लागू देय राशियों के आधार पर की जाएगी।

हर महीने केवल न्यूनतम देय राशि (MAD) का भुगतान करने से बकाया राशि के भुगतान में कई वर्ष लग सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बकाया शेष राशि पर ब्याज लगाया जाएगा।

यदि क्रेडिट कार्डधारक भुगतान की निर्धारित तिथि तक न्यूनतम देय राशि (Minimum Amount Due – MAD) का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सिटी यूनिजन बैंक को बकाया राशि की वसूली के लिए, बिना किसी अतिरिक्त सूचना दिए, कार्डधारक के उसी ग्राहक पहचान संख्या (Customer ID) के अंतर्गत जुड़े बचत खाते या चालू खाते पर लियन (Lien) दर्ज करने और/या ऐसे बचत खाते या चालू खाते से राशि डेबिट करने तथा/या बैंक में कार्डधारक द्वारा रखी गई किसी भी जमा राशि, खाते की शेष राशि या अन्य धनराशि पर, जैसा लागू हो, बैंक के लियन के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

D. डिफॉल्ट

डिफॉल्ट होने पर, यानी अगर न्यूनतम राशि देय तिथि तक नहीं लौटाई जाती है या इस करार के किसी भी उपधारा का उल्लंघन होता है, तो सिटी यूनिजन बैंक समय-समय पर पोस्ट, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस मैसेजिंग, और/या बकाया वसूलने के लिए नियुक्त थर्ड पार्टी के ज़रिए कार्ड धारक को अनुस्मारक भेजेगा। इस तरह नियुक्त कोई भी थर्ड पार्टी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के बकाया वसूली कोड का पालन करेगी।

सिटी यूनिजन बैंक भुगतान देय तिथि से 3 दिन बाद का ग्रेस पीरियड देता है, जहाँ भुगतान अतिदेय नहीं हैं। यह सुविधा भुगतान प्रक्रिया समय को ध्यान में रखकर दी जाती है, लेकिन कार्ड धारक को खाता विवरण में बताई गई राशि का भुगतान देय तिथि तक अदा करना होगा।

सिटी यूनिजन बैंक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सीआईसी) को कार्ड खाते को 'पास्ट ड्यू' के तौर पर रिपोर्ट करेगा और अगर कार्ड अकाउंट 3 दिन से ज़्यादा 'पास्ट ड्यू' रहता है, तो लेट पेमेंट चार्ज लगाएगा। हालांकि, 'दिनों के पास्ट ड्यू' की संख्या और देरी भुगतान प्रभार की, खाता विवरण में बताई गई भुगतान देय तिथि से गणना की जाएगी।

अगर कार्ड धारक कोई चूक करता है, तो सिटी यूनिजन बैंक, अपनी मर्जी से, निम्न करने का हकदार होगा:

- कार्ड होल्डर से सभी क्रेडिट कार्ड सुविधाएँ वापस ले लें
- कार्ड होल्डर से कहें कि वे अपने कार्ड का सारा बकाया तुरंत अदा करें।
- यह सहमति हुई है कि बैंक, किसी भी समय और बिना किसी सूचना के, कार्ड सदस्य के सभी पैसों पर लियन और सेट-ऑफ का अधिकार रखेगा, जो बैंक के किसी भी अकाउंट में या बैंक के कब्जे या कस्टडी में उसके खाते में उपलब्ध हैं। अगर बैंक के मांगने पर, कार्ड खाते पर बकाया राशि तय समय के अंदर नहीं अदा की जाती है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और कार्ड मेंबर की किसी भी प्रॉपर्टी, जो बैंक के पास या कस्टडी में है, चाहे वह सुरक्षित रखने के लिए हो या किसी और काम के लिए, जिसमें कार्ड मेंबर के डीमैटेरियलाइज्ड शेयर या दूसरी सिक्योरिटीज़ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और जो बैंक के पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पर हैं, में जमा ऐसे क्रेडिट बैलेंस को कार्ड अकाउंट के तहत बकाया रकम में एडजस्ट किया जा सकता है। किसी भी कमी के मामले में, बैंक कार्ड मेंबर से कमी की रकम वसूल सकता है।

डिफॉल्ट होने पर, सिटी यूनियन बैंक डिफॉल्ट रिपोर्ट को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या कानून द्वारा मंजूर दूसरी एजेंसियों को भेज सकता है। भुगतान देय तिथि और खाता विवरण में बताई गई बिलिंग तिथि के बीच का समय, कार्ड धारक को डिफॉल्टर के तौर पर रिपोर्ट करने के लिए नोटिस पीरियड माना जाता है।

डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और बकाया समाधान के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट कितने समय में वापस ली जाएगी, नीचे दी गई है:

- सिटी यूनियन बैंक, कार्ड धारक का डेटा महीने में दो बार (रिपोर्ट करने की तिथि और महीने के आखिर की रिपोर्टिंग की कालावधि) CIBIL द्वारा बताए गए फॉर्मेट में CIBIL -क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को भेजता है। इस डेटा में पिछले महीने के सभी कार्ड होल्डर, चाहे वे डिफॉल्टर हों या मौजूदा, का रीपेमेंट स्टेटस शामिल होता है। CIBIL उसे भेजा गया डेटा अगले तीस दिनों में अपने सर्वर पर अपलोड करता है।
- अगर कार्ड धारक सुलह समझौते का विकल्प चुनता है या ऐसे मामलों में जहां खाता राइट ऑफ़ कर दिया गया है, सीआईसीएस को क्रमशः समाधान और राइट ऑफ़ के रूप में अद्यतन किया जाएगा।

कार्ड धारक की मृत्यु होने या हमेशा के लिए अशक्तता की स्थिति में, पूरा बकाया विवरण (बिना बिल वाले लेन-देन सहित) तुरंत सिटी यूनियन बैंक को अदा करना होगा। सिटी यूनियन बैंक कार्ड धारक की जायदाद से पूरा बकाया वसूलने का हकदार होगा और कार्ड धारक की जायदाद सिटी यूनियन बैंक को ऐसे बकाया को वसूलने में होने वाले सभी खर्चों, जिसमें विधिक शुल्क और खर्च शामिल हैं, से हर्जाना देगी। सिटी यूनियन बैंक, कार्ड धारक के नाम पर सिटी यूनियन बैंक में रखे गए पैसे/डिपॉजिट/अकाउंट से भी पूरा बकाया वसूलने का हकदार होगा।

1. स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के तौर पर वर्गीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, लोन देने वालों को डिफॉल्ट होने पर तुरंत लोन लेने वालों के अकाउंट में शुरूआती स्ट्रेस की पहचान कर, उन्हें स्पेशल मेंशन अकाउंट्स (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करना ज़रूरी है। कर्जदार के अकाउंट को एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना, उस तारीख के डे-एंड प्रोसेस के भाग के तौर पर किया जाएगा, और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तारीख वह कैलेंडर तारीख होगी जिसके लिए डे-एंड प्रोसेस चलाया जाता है। इसलिए, एसएमए / एनपीए की तारीख उस कैलेंडर तारीख के डे-एंड पर अकाउंट के वर्गीकरण अवस्था को दर्शाएगी। क्रेडिट कार्ड खातों के लिए, एसएमए के रूप में वर्गीकरण तभी शुरू होगा जब न्यूनतम देय राशि (MAD) का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है। ऐसे क्लासिफिकेशन का एक उदाहरण इस प्रकार है:

- **एसएमए 0**- अगर किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तारीख तक न्यूनतम देय राशि (MAD) नहीं मिलती है, तो खाते को 31 मार्च, 2021 के आखिर में एसएमए0 के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
- **एसएमए 1** - यदि यह लगातार ओवरड्यू रहता है, तो यह खाता लगातार ओवरड्यू रहते 30 दिन पूरे होने पर, यानी 30 अप्रैल, 2021 को एसएमए1 के रूप में चिह्नित हो जाएगा।
- **एसएमए 2** - अगर खाता ओवरड्यू रहता है, तो उसे 30 मई, 2021 को एसएमए2 के तौर पर चिह्नित कर दिया जाएगा।
- **एनपीए**- अगर खाता आगे भी ओवरड्यू रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को एनपीए के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का काम लोन लेने वाले के हिसाब से किया जाता है, सहूलियत के हिसाब से नहीं। इसलिए, अगर बैंक से ली गई कोई भी सहूलियत, बकाया भुगतान न करने की वजह से एनपीए के रूप में वर्गीकृत होती है, तो लोन लेने वाले के बैंक के सभी दूसरे लोन/क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स भी एनपीए के तौर पर वर्गीकृत होंगे, और इससे बैंक को ऐसे सभी लोन/क्रेडिट कार्ड/फ़ैसिलिटीज़ वापस लेने का अधिकार होगा, भले ही उन अकाउंट्स में नियमित भुगतान होता हो।

E. कार्ड सदस्यता की समाप्ति / समर्पण / निरसन

कार्ड धारक किसी भी समय, पहले से बताकर या बिना बताए, कार्ड खाता को बंद या समर्पित कर सकता है। गलत इस्तेमाल से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्रिप नष्ट हो जाएं। कार्ड बंद करने के लिए कस्टमर सर्विस को पूरा कार्ड नंबर लिखकर या कस्टमर केयर पर कॉल करके रिकेस्ट की जा सकती है। सिटी यूनियन बैंक को कार्ड अकाउंट से जुड़े सभी बकाया पेमेंट मिलने के बाद कार्ड निरसन प्रभावी हो जाएगा।

प्रोग्राम बंद होने या नवीनीकरण की दशा में, सिटी यूनियन बैंक अपनी मर्जी से दूसरा कार्ड टाइप जारी करने का अधिकार रखता है। क्रेडिट लिमिट और कैश लिमिट सिटी यूनियन बैंक की मर्जी पर निर्भर हैं। कार्ड आवेदन कार्ड बंद होने या नवीनीकरण के समय दिए गए किसी भी स्थानापन्न कार्ड के लिए वैध रहता है।

कार्ड खाता बंद होने के बाद भी फाइनेंस चार्ज तब तक लगते रहेंगे, जब तक बकाया ओवरड्यू राशि जमा नहीं हो जाती। अगर कोई कार्ड एक साल से ज़्यादा समय से निष्क्रिय है, तो सिटी यूनियन बैंक कार्ड धारक को बताने के बाद कार्ड खाता बंद करने का अधिकार रखता है। अगर तय समय में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो सिटी यूनियन बैंक कार्ड खाता (किसी भी उस खाते के लिए लिए गए दूसरे कार्ड सहित) बंद कर देगा, बशर्ते सभी बकाया का भुगतान हो गया हो।

अगर कार्ड बंद करते समय किसी कार्ड धारक का रिवॉर्ड पॉइंट्स शेष नकारात्मक है, तो उसके बराबर मूल्य राशि खाता विवरण के नामे डाली जाएगी और कार्ड धारक को दूसरे बकाया के साथ इसका भुगतान करना होगा। कोई भी एनुअल, जॉइनिंग या रिन्यूअल शुल्क यथानुपात आधार पर वापस नहीं की जाएगी।

अगर सिटी यूनियन बैंक को लगता है कि बिज़नेस या सुरक्षा कारणों से और / या किसी कानून लागू करने वाली एजेंसी, और/या किसी सरकारी प्राधिकारी के कहने पर और/या सिटी यूनियन बैंक और उसके ग्राहकों पर लागू होने वाले कानूनों और नियमों के तहत यह ज़रूरी है तो सिटी यूनियन बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना कार्ड धारक को खाता के उपयोग पर रोक लगा सकता है, उसे खत्म कर सकता है या वर्खास्त कर सकता है,

कार्ड धारक की मृत्यु, दिवालिया होने / खत्म होने / दिवालियापन/ या कार्ड धारक की कॉर्पोरेट बॉडी के बंद होने पर, कार्ड धारक को जारी किया गया कार्ड और साथ ही उसी खाते के लिए जारी अतिरिक्त कार्ड स्वतः निरस्त हो जाएगा। कार्ड खाते की बकाया सभी राशि, मौत, दिवालिया होने, बंद होने या सरकार / रेगुलेटरी बॉडी के निर्देश पर, जैसा भी मामला हो, तुरंत बकाया मानी जाएगी, और सिटी यूनियन बैंक को कार्ड धारक द्वारा सभी बकाया रकम तुरंत चुकाने की ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, लागू कानूनों के अनुसार उसे वसूलने का अधिकार होगा।

अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडी पर कोई विलयन या प्रतिष्ठान समेटने की कानूनी कार्रवाही चल रही है, या अगर कोई सरकारी/नियामक बॉडी का कोई ऑर्डर लागू है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक को उस कॉर्पोरेट बॉडी को क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकता है, तो उस कॉर्पोरेट बॉडी के कर्मचारियों को जारी किए गए सभी कॉर्पोरेट कार्ड बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दिए जाएंगे। सिटी यूनियन बैंक ऐसे निरसन से होने वाले किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। सभी कार्ड्स को निर्धारित विधि से नष्ट करके रद्द करना होगा और इन कार्ड्स पर बकाया सभी राशि तत्काल जमा करना होगा।

F. कार्ड खो जाना/चोरी हो जाना/दुरुपयोग होना

अगर कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए, या खराब हो जाए, अगर किसी अन्य के पास पिन या दूसरी सुरक्षा संबंधी जानकारी हो, या कार्ड बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो कार्ड धारक को बिना इजाज़त वाले लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत सिटी यूनियन बैंक को 18001205000 (आईवीआर) पर या किसी भी दूसरे माध्यम से बताना होगा। सबसे पास के पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत / प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करानी होगी, और उसकी एक कॉपी सिटी यूनियन बैंक को जमा करनी होगी।

कार्ड होल्डर आईवीआर या ई-मेल से भी कार्ड को तुरंत ब्लॉक करा सकता है।

- फोन बैंकिंग नंबर क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन: 18001205000 (TOLLFREE) /04471225000
- ई-मेल पता: creditcardsupport@cityunionbank.in

आपके क्रेडिट कार्ड खाते का संपर्क विवरण, जिसमें मोबाइल नंबर भी शामिल है, में बदलाव होने पर, प्रणाली में आपकी नई और पिछले संपर्क विवरण को डाल दिया जाएगा। यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी मौजूद संपर्क विवरण, जिसमें मोबाइल नंबर भी शामिल है, हमारे अभिलेख में अद्यतन रखें।

गलत उपयोग होने पर, सिटी यूनियन बैंक की ज़िम्मेदारी गुम/चोरी कार्ड इन्श्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर की गई रकम तक ही होगी, बशर्ते पॉलिसी के नियम और शर्तें पूरी हों। अगर कार्ड होल्डर धोखाधड़ी करता है, बिना किसी सावधानी काम करता है या एटीएम लेन-देन या पिन/पासवर्ड/औटीपी/एम पिन/सीवीवी का प्रयोग कर किए गए लेन-देन में कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए वह पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।

कार्ड धारक, सिटी यूनियन बैंक को किसी भी देयता (सिविल या क्रिमिनल), नुकसान, लागत, खर्च या क्षति के लिए पूरा हर्जाना देता है, जो कार्ड के खोने या गलत इस्तेमाल की वजह से हो सकता है, अगर यह खो जाता है और बैंक को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है या बैंक को बताने से पहले खो जाता है और इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है।

G. शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति ढांचा/

i. शिकायत निवारण और एस्कलेशन प्रक्रिया

प्रथम स्तर के संपर्क माध्यम: प्रश्न / फीडबैक / शिकायतें

कार्डधारक क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी भी प्रश्न, अनुरोध, फीडबैक अथवा शिकायत के लिए, जिसमें अनधिकृत लेन-देन की सूचना देना, क्रेडिट कार्ड के खो जाने/चोरी होने अथवा दुरुपयोग की सूचना देना शामिल है, निम्नलिखित माध्यमों से सिटी यूनियन बैंक से संपर्क कर सकता है:

- हमें कॉल करें
- बैंक शाखा में संपर्क करें
- लिखित रूप से संपर्क करें
- ई-मेल करें
- अनधिकृत लेन-देन की सूचना दें
- क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक / अनब्लॉक करें
- क्रेडिट कार्ड बंद / सरेंडर करें
- क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायत दर्ज करें

ग्राहक सेवा

- फोन: 1800 120 5000 (टोल-फ्री) / 044 7122 5000
- ई-मेल: creditcardsupport@cityunionbank.in
- मेलिंग पता :सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड,
नया नंबर 6, पुराना नंबर 26,
मोहनपुरी 5वीं स्ट्रीट,
आदमबक्कम, चेन्नई – 600088

द्वितीय स्तर का संपर्क माध्यम

यदि कार्डधारक को उपर्युक्त माध्यमों से दर्ज की गई शिकायत पर संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं होता है, तो मामला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell) को एस्केलेट किया जा सकता है।

- ई-मेल: complaints_grievances@cityunionbank.in
- मेलिंग पता : सिटीयूनियन बैंक लिमिटेड,
नं..24बी,गांधी नगर,
कुंभकोनम- 612001

तृतीय स्तर का संपर्क माध्यम

यदि कार्डधारक द्वितीय स्तर पर प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो मामला आगे प्रधान नोडल अधिकारी (Principal Nodal Officer) को एस्केलेट किया जा सकता है।

प्रधान नोडल अधिकारी: श्री जी. सतीशकुमार

महाप्रबंधक – ग्राहक अनुभव विभाग (General Manager – Customer Experience Department)

- फोन: 044 7122 5000 / 1800 120 5000 (टोल-फ्री)

- ई-मेल: complaints_grievances@cityunionbank.in
- मेलिंग पता : सिटीयूनियन बैंक लिमिटेड,
नं..24बी,गांधी नगर,
कुंभकोनम- 612001

शिकायत निवारण की प्रक्रिया एवं समय-सीमा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ii. शिकायतों के निवारण की समय-सीमा

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है अथवा शिकायत दर्ज किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कार्डधारक को कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कार्डधारक लागू प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल (Reserve Bank – Integrated Ombudsman) से संपर्क कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध लोकपाल योजना (Ombudsman Scheme) देखें:

<https://www.cityunionbank.com/ombudsman-scheme>

iii. असफल / विफल लेन-देन, शिकायत निवारण में देरी, क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी, खोए / चोरी हुए कार्ड को ब्लॉक करने में देरी आदि के लिए क्षतिपूर्ति का ढांचा

असफल अथवा विफल लेन-देन, अवरुद्ध राशि के रिवर्सल, रिफंड तथा अन्य लागू क्षतिपूर्ति के मामलों में बैंक, समय-समय पर लागू नियामकीय दिशानिर्देशों, कार्ड नेटवर्क के नियमों तथा बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार कार्रवाई करेगा।

कार्डधारक द्वारा त्रुटिपूर्ण अथवा अनधिकृत बताए गए ऐसे लेन-देन, जिनके लिए मर्चेट प्रतिष्ठान से संदर्भ/सत्यापन आवश्यक है, उन्हें लागू कार्ड नेटवर्क नियमों तथा बैंक की विवाद निवारण प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा।

बैंक निर्धारित नियामकीय एवं परिचालन समय-सीमा के अनुसार कार्डधारक को आवश्यक स्पष्टीकरण तथा, जहाँ लागू हो, संबंधित सहायक जानकारी उपलब्ध कराएगा।

यदि लागू नियामकीय समय-सीमा से अधिक समय लगने के कारण क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी होती है, तो लागू नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। जहाँ निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, वहाँ ऐसी देरी के लिए ₹500 प्रति दिन की दर से क्षतिपूर्ति, क्रेडिट कार्ड बंद होने तक, प्रदान की जाएगी, बशर्ते क्रेडिट कार्ड खाते में कोई बकाया राशि न हो।

क्षतिपूर्ति से संबंधित लागू समय-सीमा एवं प्रावधान बैंक की क्षतिपूर्ति नीति (Compensation Policy) तथा उस समय प्रभावी नियामकीय दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित होंगे।

iv. कार्ड जारीकर्ता के संपर्क विवरण – कॉल सेंटर, ई-मेल, हेल्पलाइन एवं अन्य महत्वपूर्ण संपर्क विवरण

कार्डधारक सिटी यूनियन बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित मामलों के लिए निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकता है:

- क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन: 1800 120 5000 (टोल-फ्री)
- IVRS / संपर्क नंबर: 044 7122 5000

- ई-मेल: creditcardsupport@cityunionbank.in

क्रेडिट कार्ड बंद / सरेंडर करने के लिए :

- ई-मेल: creditcardsupport@cityunionbank.in
- टोल-फ्री: 1800 120 5000
- IVRS: 044 7122 5000

ग्राहक से उपरोक्त उल्लिखित किसी भी माध्यम के माध्यम से प्राप्त कार्ड बंद करने के अनुरोधों को, सभी बकाया राशियों के भुगतान के अधीन, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर संसाधित किया जाएगा। कार्ड बंद करने का अनुरोध केवल उपरोक्त उल्लिखित माध्यमों के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर लागू होगा; किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर यह लागू नहीं होगा।

क्रेडिट कार्ड के खो जाने / चोरी होने / दुरुपयोग की सूचना देने के लिए:

कार्डधारक को तुरंत बैंक से निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क करना चाहिए:

- क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन: 1800 120 5000 (टोल-फ्री) / 044 7122 5000
- ई-मेल: creditcardsupport@cityunionbank.in

खोने, चोरी होने या दुरुपयोग से संबंधित पत्राचार के लिए:

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड,
नया नंबर 6, पुराना नंबर 26,
मोहनपुरी 5वीं स्ट्रीट,
आदमबक्कम, चेन्नई – 600088.

H. प्रकटीकरण

सिटी यूनियन बैंक आरबीआई द्वारा प्राधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ टाई-अप कर सकता है और क्रेडिट की जानकारी साझा करेगा, जिसमें आपका अद्यतन जमा, भुगतान संबंधी विवरण, डेमोग्राफिक विवरण आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। क्रेडिट ब्यूरो इस बारे में कोई राय, संकेत या कमेंट नहीं देते कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। समय पर ज़रूरी बकाया अदा कर एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाए रखना आपके हित में है। क्रेडिट ब्यूरो होने से, ज़िम्मेदार ग्राहक क्रेडिट देने वालों से बेहतर शर्तों पर तेज़ और ज़्यादा अच्छी सर्विस की उम्मीद कर सकते हैं। ग्राहक के किसी भी चूक की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को मिलेगी, जिससे भविष्य की ज़रूरतों के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता पर असर पड़ेगा। सिटी यूनियन बैंक हर महीने या सिटी यूनियन बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच तय समय पर ग्राहक की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देगा। अगर सिटी यूनियन बैंक के संज्ञान में कोई बिलिंग विवाद आता है, तो सिटी यूनियन बैंक विवाद सुलझने तक क्रेडिट ब्यूरो को आख्या भेजना रोक देगा।

कार्ड धारक यह मानता है कि सिटी यूनियन बैंक को कार्ड धारक/बाद में जुड़े कार्ड धारक से जुड़ी जानकारी साझा करने का अधिकार है, जिसमें कार्ड धारक द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में की गई किसी भी चूक से जुड़ी जानकारी भी शामिल है, जैसा कि सिटी यूनियन बैंक सही और ज़रूरी समझे, यह जानकारी सिटी यूनियन बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी भी वर्तमान या आगे जुड़ने वाले क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा की जा सकती है। इसलिए, बाद में जोड़े गए कार्ड धारक (कों) की तरफ़ से ऐसे क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी देने की मंजूरी दी हुई मानी

जाती है। ऐसी एंटीटीज़ संसाधित जानकारी, डेटा या उसके प्रोडक्ट्स बैंकों/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और दूसरे क्रेडिट देने वालों को भी उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियां, या आरबीआई द्वारा बनाई गई और प्राधिकृत कोई भी दूसरी एंटीटी शामिल होती है, जो उधार लेने वालों से जुड़ी क्रेडिट जानकारी इकट्ठा करने, तुलना करने और सभी तक फैलाने के मकसद से होती है।

यदि कार्ड धारक सिटी यूनियन बैंक/उसके एसोसिएट्स/सब्सिडियरीज़/एजेंट्स से कोई डायरेक्ट मार्केटिंग या टेली-कॉलिंग/टेली सेल्स कॉल्स नहीं लेना चाहता है, तो कार्ड धारक 'ट्राई' वेबसाइट पर दिए विवरण के अनुसार 'प्रोवाइडर कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर' में रजिस्टर करके ऑप्ट-आउट कर सकता है।

सिटी यूनियन बैंक दूसरे मर्चेन्ट्स/कॉर्पोरेट के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड देता है। इस अनुबंध के तहत सिटी यूनियन बैंक पार्टनर मर्चेन्ट/कॉर्पोरेट के साथ राजस्व/शुल्क बांट सकता है। कार्ड धारक साफ़ तौर पर सिटी यूनियन बैंक को भर्ती, कार्ड फीचर की जरूरतों को पूरा करने, मार्केटिंग, व्यापार बढ़ाने वाली गतिविधियों और लाभ पाने के मकसद से को-ब्रांड पार्टनर्स के साथ उनको साझा की गई जानकारी साझा करने और बताने की मंजूरी देते हैं। यह एयरलाइन, रिटेलर्स और दूसरे सेवा प्रदाता सहभागियों के साथ जारी किए गए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा।

सिटी यूनियन बैंक कई तरह के फीचर्स और लाभदायक क्रेडिट कार्ड भी देता है। इस प्रावधान के लिए, सिटी यूनियन बैंक कार्ड धारक को प्रोडक्ट फीचर्स/बेनिफिट्स/दूसरी वैल्यू-एडेड सेवाएं जैसे वाउचर, डिस्काउंट, कैश बैक, मेंबरशिप, और इंश्योरेंस ऑप्शन जैसे कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, क्रेडिट शील्ड, हेल्थ प्लान, वगैरह देने के लिए करार पर अलग-अलग सेवा प्रदाताओं को काम पर रखता है। कार्ड धारकों ने सिटी यूनियन बैंक को स्पष्ट सहमति दी है और उसे कार्ड धारक का व्यक्तिगत डेटा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, सिटी यूनियन बैंक के प्राधिकृत सेवा प्रदाता को भर्ती, कार्ड फीचर फुलफिलमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, और बेनिफिट रिडेम्पशन के मकसद से पाने, इकट्ठा करने, प्रोसेस करने, रिकॉर्ड करने, शेयर करने, और बताने के लिए अधिकृत किया है।

बैंक पात्र CSK/SRH क्रेडिट कार्ड पर मानार्थ हवाई दुर्घटना/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। यह बीमा कवर रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd). द्वारा प्रदान किया जाता है, जो दावों के निपटान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। बीमा कवर कार्ड सक्रिय होने की तारीख से प्रभावी होगा। बीमा कंपनी के पॉलिसी नियमों और शर्तों के अनुसार, 18 से 65 वर्ष की आयु वाले ग्राहकों के लिए बीमा कवर उपलब्ध है। किसी भी दावे से संबंधित विवाद या उसके निपटान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के बीमा प्रदाता को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पॉलिसी कवरेज, नामांकन प्रक्रिया और दावे के लिए संपर्क संबंधी जानकारी बीमा कंपनी के पास उपलब्ध है। जहाँ विनियमों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ कार्डधारक की सहमति और नामांकन संबंधी विवरण लागू RBI दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा दर्ज और सुरक्षित रखे जाएंगे।

इंश्योरेंस पार्टनर का संपर्क विवरण:

रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.

वेबसाइट: www.royalsundaram.in

कॉन्टैक्ट सेंटर: 18604250000 (टोलफ्री)

ईमेल: cub.claims@royalsundaram.in

कार्ड धारक को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड अनुमोदन में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आवेदन करने की तारीख से क्रेडिट कार्ड वितरण टीएटी 14 दिन होगी।

कार्ड धारक यह मानता है कि उसने क्रेडिट कार्ड आवेदन में अपने नाम से पंजीकृत मोबाइल नंबर दिया है। अगर बाद में पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड आवेदन के दौरान दिया गया मोबाइल नंबर कार्ड धारक के नाम पर पंजीकृत

नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड पर मोबाइल नंबर से की गई किसी भी गतिविधि/लेन-देन के लिए वह खुद ज़िम्मेदार होगा।

सिटी यूनिन बैंक, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ़ इंडिया (बीसीएसबीआई) का सदस्य है। बीसीएसबीआई कोड के तहत हमारी प्रतिबद्धता देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट के होमपेज पर जाएँ।

विवाचन धारा (आरबिट्रेशन क्लॉज)

इस करार से उत्पन्न होने वाले सभी झगड़े, मतभेद, और/या दावे या सवाल, या किसी भी तरह से इससे जुड़े या इससे संबंधित, या इसके मतलब के, या इसके तहत पार्टियों के अधिकारों, ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से जुड़े, आरबिट्रेशन के लिए भेजे जाएंगे और उनका निपटारा आरबिट्रेशन से होगा, जो आरबिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, 1996 के नियमों, या इसके किसी भी कानूनी बदलाव के अनुसार, सिटी यूनिन बैंक द्वारा नॉमिनेट किए गए एकल आरबिट्रटर द्वारा किया जाएगा। आरबिट्रटर के तौर पर काम करने के लिए चयनित व्यक्ति की मृत्यु, अनिच्छा, इनकार, अनदेखी, असमर्थता या अक्षमता की स्थिति में, सिटी यूनिन बैंक एकल आरबिट्रटर के तौर पर काम करने के लिए एक नया आरबिट्रटर नियुक्त कर सकता है। आरबिट्रटर को फैसले के लिए कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होगी, और आरबिट्रटर का फैसला आखिरी होगा और सभी संबंधित पार्टियों पर लागू होगा। आरबिट्रेशन की कार्यवाही सिर्फ़ चेन्नई में होगी।

निषेध उपधारा

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर या किसी और प्रकार से प्रतिबंधित चीज़ों की खरीद जैसे, लॉटरी टिकट, बैन या प्रतिबंधित मैगज़ीन, घुड़दौड़ वाले जुआ में हिस्सा लेने, कॉल बैक सर्विस के लिए भुगतान करने, और/या ऐसी चीज़ों/गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता जिनके लिए फॉरेन एक्सचेंज आहरण की अनुमति नहीं है।

फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम)

- भारत के बाहर लेन-देन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानूनों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें आरबीआई के एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट शामिल हैं। ऐसा न करने पर, आप पर दंडात्मक कार्यवाई हो सकती है।
- इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के ज़रिए विदेशी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसा करना मना है। ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया सिटी यूनिन बैंक की वेबसाइट पर जाएँ।
- यह कार्ड भारत और विदेश, दोनों जगहों पर उपयोग के लिए मान्य है। हालाँकि, यह नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में लेन-देन के लिए मान्य नहीं है।

कार्ड खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन

- सिटी यूनिन बैंक उन कार्ड धारकों को इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की सुविधा (एटीएम से कैश निकालने के अतिरिक्त) नहीं देगा, जो बैंक को अपना वैज्ञ मोबाइल नंबर नहीं देंगे।
- अगर कार्ड धारक को उपलब्ध कराए गए किसी भी खाता विवरण या अभिलेख में लेन-देन या जमा की जानकारी में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो कार्ड धारक को सात (7) दिनों के अंदर सिटी यूनिन बैंक को लिखित रूप में सूचित करना होगा।
- अगर सिटी यूनिन बैंक को सात (7) कार्य दिवसों के बाद इसके उलट कोई जानकारी मिलती है, तो कार्ड धारक की ज़िम्मेदारी सिटी यूनिन बैंक के बोर्ड द्वारा -मंज़ूर नीति के अनुसार तय की जाएगी, जो सिटी यूनिन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- इन नियमों और शर्तों के तहत सिटी यूनिन बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेज़ी रूप में रखे गए आपके

- निर्देशों और अन्य विवरणों (जिनमें भुगतान करना या प्राप्त करना शामिल है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के सभी रिकॉर्ड, उन निर्देशों और अन्य विवरणों का पक्का सबूत माने जाएंगे।
- रिपोर्ट करते समय और/या कार्ड खाते पर किए गए लेन-देन या कार्ड खाते से जुड़े किसी भी मामले को लेकर कोई विवाद होने पर, सिटी यूनियन बैंक के पास विवादित लेन-देन के समय और/या उसकी असलियत का पता लगाने का अधिकार होगा। अगर आपके कार्ड खाते में किसी तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी की वजह से कोई अनधिकृत लेन-देन होता है, या अगर उस धोखाधड़ी में आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो आपकी ज़िम्मेदारी आरबीआई के इस सर्कुलर: "कस्टमर प्रोटेक्शन – लिमिटेड लॉयबिलिटी आफ कस्टमर्स अनअथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्सनस" में दिए गए निर्देश के अनुसार तय होगी। समय-समय पर संशोधित नियमों में किए गए कोई भी बदलाव लागू और बाध्यकारी होंगे।
 - कस्टमर केयर/कस्टमर की शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क विवरण हेतु, कृपया सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट www.cityunionbank.bank.in देखें।

सिक्वोर्ड क्रेडिट कार्ड

- फिक्स्ड डिपॉज़िट, कार्ड धारक की सिटी यूनियन बैंक को सिक्वोर्ड क्रेडिट कार्ड या बैंक द्वारा मंजूर की गई किसी अन्य सुविधा के तहत देय सभी राशियों के अंतिम जमा के लिए लगातार प्रतिभूति के रूप में काम करेगी।
- अगर भुगतान में चूक होती है या क्रेडिट सुविधा (सुविधाओं) का पैसा मांगने पर वापस नहीं किया जाता है, तो सिटी यूनियन बैंक फिक्स्ड/टर्म डिपॉज़िट को समय से पहले भुनाने, या किसी भी समय दी गई या रखी गई सिक्वोरिटीज़/फिक्स्ड या टर्म डिपॉज़िट को सेट-ऑफ या ज़ब्त करने, या सिटी यूनियन बैंक की नज़र में उचित तरीके से उन्हें ट्रांसफर/असाइन या री-असाइन करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा सकता है। साथ ही, सिटी यूनियन बैंक या उसकी किसी भी शाखा में कार्ड धारक के अकाउंट में मौजूद देनदारियों को चुकाने के लिए शुद्ध राशि का उपयोग कर सकता है।
- सिटी यूनियन बैंक को यह अधिकार है कि वह कार्ड धारक की पात्रता के आधार पर, अपनी मर्ज़ी से, सिक्वोर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फिक्स्ड डिपॉज़िट से 'लियन' (lien) हटा सकता है।

अस्वीकरण:

सिटी यूनियन बैंक, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार किसी भी तरह के नुकसान या क्षति (चाहे वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो या परिणामी हो) के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इसमें राजस्व, मुनाफ़ा, व्यापार, करार, अनुमानित बचत या साख का नुकसान; किसी उपकरण (सॉफ्टवेयर सहित) के इस्तेमाल या उसके कीमत का नुकसान शामिल है, चाहे वह नुकसान पहले से पता हो या न हो। यह नुकसान तब हो सकता है जब बैंक अनुरोधों को प्राप्त करने और प्रोसेस करने, जवाब तैयार करने और भेजने में देरी, रुकावट, सस्पेंशन, समाधान या गलती करता है; या जब उपभोक्ता के टेलीकम्युनिकेशन उपकरण और किसी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और बैंक की प्रणाली के बीच कोई जानकारी या संदेश भेजने में विफलता, देरी, रुकावट, सस्पेंशन, पाबंदी या गलती होती है; या जब उपभोक्ता के टेलीकम्युनिकेशन उपकरण, बैंक की प्रणाली, या किसी सेवा प्रदाता और/या ऐसी सेवाएँ देने वाली किसी तीसरी पार्टी के नेटवर्क में कोई खराबी, रुकावट, सस्पेंशन या विफलता होती है।

सिटी यूनियन बैंक अपने उत्पादों के संबंध में ज़रूरत पड़ने पर, अपनी मर्ज़ी से बाहरी सेवा प्रदाता(ओं) या एजेंट की सेवाएं ले सकता है।

- सिटी यूनियन बैंक 21 कामकाजी दिनों में आवेदन फ़ॉर्म की वस्तु सिथिति बताएगा।
- सिटी यूनियन बैंक कभी भी किसी डील, उपहार, वाउचर, रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन, कार्ड सक्रिय करने या

निरस्त करने के लिए कार्ड का सीवीवी, पिन , औटीपी या इंटरनेट पासवर्ड नहीं मांगेगा। कृपया कॉल या ईमेल पर ऐसी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज़ करें। ऐसा कोई भी संपर्क करने से पहले सिटी यूनियन बैंक के संपर्क नंबरों को आधिकारिक वेबसाइट पर ज़रूर देख लें।

- किसी भी ऑनलाइन/ई-कॉमर्स लेन-देन आरंभ करने से पहले वेबसाइट और/या पोर्टल की असलियत की जाँच ज़रूर कर लें। ऐसी फ़र्जी वेबसाइटों से सावधान रहें जो आपसे आपके पैसे की धोखाधड़ी कर सकती हैं।
- बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड ग्राहक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। बैंक किसी तीसरे पक्ष की ओर से या उसके लाभ के लिए किए गए लेन-देन को प्रोत्साहित या समर्थन नहीं करता है।

बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड ग्राहक के निजी उपयोग के लिए है। बैंक किसी तीसरे पक्ष की ओर से या उसके फ़ायदे के लिए किए गए लेन-देन को बढ़ावा या समर्थन नहीं देता है।

इंटरनेशनल लेन-देन के मामले में मर्चेन्ट रिफ़ंड या विवाद होने पर, करेंसी के उतार-चढ़ाव से होने वाले किसी भी दर के अंतर का खर्च ग्राहक को वहन करना होगा।
